राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3,सुरक्षा) विभाग

क्रमांक : 10(90)कार्मिक / ख–3 / 80 जयपुर,दिनांक 4 JAN 2012

:: परिपत्र ::

शासन सचिवालय प्रशासन का मुख्य स्थान होने के कारण परिसर में प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था की हुई है । उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत परिसर में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी के स्थाई परिचय पत्र/ प्रवेश पत्र जारी किए हुए हैं । विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों को राजकीय कार्य से सचिवालय आने पर असुविधा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए सचिवालय परिसर स्थित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव/ शासन उप सचिव महोदय की अभिशंषा के आधार पर नियमानुसार अस्थाई प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं ,लेकिन ऐसा देखने में आया है कि प्रशासनिक विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा काफी अधिक संख्या में प्रवेश पत्र जारी करने हेतु अभिशंषा / आवेदन अग्रेषित कर भिजवा दिये जाते हैं जिससे सुरक्षा एवं राजकार्य के प्रभावित होने की संभावना रहती है । अतः सचिवालय परिसर स्थित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / शासन उप सचिव से पुनः अपेक्षा की जाती है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों के प्राप्त आवेदनों में से सीमित संख्या में ही प्रवेश पत्र जारी करने की स्पष्ट अभिशंषा कर भिजवाने का श्रम करें।

कृपया इसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है ।

27.12.11
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान , जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव,समस्त मा. मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिवगण ।
3. निजी सचिव, समस्त अति.मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिवगण ।
4. समस्त शासन उप सचिव ।
5. उप निदेशक,सांख्यिकी, मुख्य मंत्री कार्यालय ।
6. सचिवालय परिसर स्थित सभी संघों के अध्यक्षगण ।
7. समस्त सहायक शासन सचिव / अनुभागाधिकारी ।
8. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
9. सचिवालय परिसर स्थित समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. नोटिस बोर्ड ।

पंजीयक